



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अक्र./2020/ 449

भोपाल, दिनांक 18.03.2020

## पूरक-आदेश

विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 415 दिनांक 18-03-2020 द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों एवं समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु दिनांक 31-03-2020 तक अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में उपरोक्त उल्लेखित अवधि तक विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में शिक्षकों हेतु कार्यालय का समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक रहेगा।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)  
कुलमंचिव

पु.क्र./अक्र./2020/ 456

भोपाल, दिनांक 18.03.2020

प्रतिनिधि :-

1. निज सचिव, कुलपति/निज सहायक कुलाधिसचिव, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगण, समस्त शाखा प्रभारी एवं समस्त परिसर प्रभारियों की ओर सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, वेबसाईट को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)  
कुलमंचिव